FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the the Legislative Assembly form the Rajasthan (state) from ${f 102}$ - ${f Nasirabad}$ Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961

I declare that—

Sh. Ramswaroop Lamba, VILLAGE-GOPALPURA POST-SINGAWAL P.S. BHINAI, DISTRICT-AJMER (RAJ)

sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** (name of the recognised /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - Nasirabad

Date - 11-12-2018

(Mukesh Kumar Choudhary) Returning Officer

102- Nasirabad Assembly Constituency

रिटर्निंग ऑफिसर

(एस.डी.एम.) र्

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड गया है) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा। 102—नसीराबाद निवार्चन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र) की विधान सभा के लिए निवार्चन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता / करती हूँ कि — श्री रामस्वरूप लाम्बा नाम ग्राम—गोपालपुरा पोस्ट—सिंगावल पं.स. भिनाय जि—अजमेर (राज.) पता भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रयोजित (मान्यता प्राप्त / राजनैतिक दल का नाम) को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान नसीराबाद तारीख 11.12.2018 हर्प्सिंसर रिटर्निंग आफिसर रिटर्निंग ऑफिसर

नसीराबाद (102) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र